तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5/10/17

वकुलाय उप०।
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/11/17 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

28/11/17

वकुलाय उप०।
बहस हेतु समय चाहते है दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/01/2018 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

15.01.2018

सरकारी पेरोकार उपस्थित।
अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थी ग्राम बलुपुरा तहसील जैतारण खसरा नम्बर 106 रकबा 5 बीघा जमीन गै.मु. वाला से अप्रार्थी का कब्जा हटाकर पुनः गै.मु. दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में विस्तृत कारणों के साथ प्रार्थी क्या चाहता है स्पष्ट नहीं है न ही प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर ही है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम बलुपुरा पटवार हल्का राबडियावास की उक्त भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 5 बीघा गै.मु. वाला का किस्म परिवर्तन कर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा 30.08.1976 को बाबूशा पुत्र नेनुशा को आवंट किया गया था। जो गै.मु. वाला की भूमि को गैर कानूनी रूप से किस्म परिवर्तन कर आवंटन की गई उसे पुनः मूल रूप में प्रार्थीगण दर्ज कराना चाहते है जो रेफरेंस की कार्यवाही से ही संभव है क्योंकि उक्त भूमि का आवंटी खातेदार दर्ज होकर बेचाण भी कर चुका है।

चूंकि रेफरेन्स की कार्यवाही सरकार द्वारा ही की जाती है कोई व्यक्ति अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधि. के रेफरेन्स नहीं कर सकता जिसके कई दृष्टान्त है मसलन RRT 2010(1) page 563, RRT 2012(1) page 412, RRT 2012(2) page or RRD 2012 page 489।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार जैतारण को पत्रावली संलग्न रेकार्ड व आदेशों की प्रतियां प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम के बनाया जाकर इस न्यायालय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाने हेतु एक माह की अवधी में प्रस्तुत करें।

न्यायालय आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर, पाली